


(एम०ओ०यू०)


कार्य का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 1732/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 10.00 किमी०)

निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट के अधीन स्वीकृत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.830 हैक्टेयर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि की आवश्यकता है। जिस हेतु उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के लिए राजस्व विभाग की चिन्हित भूमि ग्राम छब्बीसा में भूमि उपलब्ध है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.10.2017 के द्वारा अधिसूचना दिनांक 28.9.2011 को निरस्त कर भारतीय वन अधिनियम 1878 की धारा 128 के अन्तर्गत शासकीय अधिसूचना संख्या 8697 एफ/638 दिनांक 17.10.1893 के द्वारा प्रदेश में समस्त बेनाप भूमि को रक्षित वन भूमि घोषित किया गया है। वन विभाग के उक्त मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपरोक्त चिन्हित भूमि पर सहमत होने की दशा में राजस्व विभाग द्वारा वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त रक्षित वनभूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित / नामान्तरित कर दी जायेगी।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट।


तहसील अधिकारी
डीडीहाट
जिला, पिथौरागढ़
उत्तराखण्ड


उपजिलाधिकारी
डीडीहाट
जिला - पिथौरागढ़
उत्तराखण्ड


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)

P.C Attested


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)